प्रेस नोट 27.08.2020

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक शातिर गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री मनोज कुमार सोनकर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.08.20 को थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान रेलवे क्रासिंग इन्दारा के पास से पंकज चौहान पुत्र योगेन्द्र चौहान निवासी मीरापुर रेहटी थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा मय एक अदद कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 461/20 धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. पंकज चौहान पुत्र योगेन्द्र चौहान निवासी मीरापुर रेहटी थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर।

बरामदगी–

1. एक अदद नाजायज तमंचा मय एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।

25 लीटर अवैध देशी/कच्ची शराब बरामद, 02 गिरफ्तार–

दिनांक 26.07.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा गोबरही ढाल के पास से रामाश्रे चौहान पुत्र मोहन चौहान निवासी मोलनापुर मिश्रौली थाना मधुबन मऊ के कब्जे से 20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा कासिमपुर के पास से चांदमोहम्मद पुत्र स्व0 मो0 बाबर निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली मऊ के कब्जे से 22 शीशी (200 मिली) देशी शराब बन्टी बबली बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना सम्बन्धित पर धारा 60 आबाकरी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालन न्यायालय किया गया।

जुआ खेलते तीन गिरफ्तार, कब्जे से फड के 02 हजार रूपये व ताश के पत्ते बरामद–

दिनांक 26.08.20 को थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान रेलवें क्रासिंग कोपागंज के पासे जुआ खेलते शुभम शर्मा, छोटु सोनकर निवासीगण दोस्तपुरा, कृष्ण मोदनवाल निवासी कोपाकोहना थाना कोपागंज मऊ के कब्जे से फड के 02 हजार रूपया तथा ताश के 52 पत्ते बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 460/20 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका मे 22 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 27.08.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा राजेश, विपुल निवासीगण इब्राहिमाबाद, अनिल गुप्ता, दिवाकर विश्वकर्मा निवासी कस्बा दोहरीघाट थाना दोहरीघाट, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा मो0 आजम निवासी बड़ागांव, बन्टी राजभर निवासी घरौली थाना घोसी, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा सन्नी शर्मा, शेषनाथ शर्मा निवासीगण इटौरा थाना हलधरपुर, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वार सत्याराम चौबे, दीनानाथ सिंह निवासीगण कुर्थिजाफरपुर थाना कोपागंज, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा कार्तिक निवासी भीटी थाना कोतवाली, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा राजेश उर्फ टाइगर निवासी कटघरा शंकर थाना मधुबन, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा रामशब्द, बुझावन निवासीगण नरौली, राजकुमार, इन्द्रजीत, ओमप्रकाश, इन्दर कुमार निवासीगण फरीदपुर, हरेन्द्र यादव निवासी बसारथपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा बेचन चौहान निवासी हाजीपुर, संतोष निवासी बचौना थाना सरायलखंसी मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत जनपद मऊ पुलिस की कार्यवाही–

कारोना महामारी के दृष्टिगत जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन हेतु चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान दिनांक 26.08.20 को सुबह 8 बजे से दिनांक 27.08.20 को सुबह 8 बजे तक जनपद के समस्त 357 बैरियर प्वाइंट (302 हाटस्पाट एरिया) पर चेकिंग के दौरान 16 व्यक्तियों के विरूद्ध 06 अभियोग पंजीकृत कर 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 1512 वाहनों को चेक किया गया जिसमें 75 वाहनों का चालान तथा 19 हजार 600 रुपये शमन शुल्क वसूले गये।

साथ ही साथ मास्क न लगाने पर किये गये 143 चालान व वसूले गये 12 हजार रुपये जुर्माना तथा लाकडाउन का उलंघन करने पर 66 चालान व वसूले गये 07 हजार 600 जुर्माना सहित कुल 39 हजार 200 रुपये जुर्माना वसूला गया। जनपद में भीड़–भाड़ वाले जगहों, बैंको, बाजारों व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आस–पास सोशल डिस्टेंशिंग का अनुपालन कराया जा रहा है।